Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding difficulties faced by public in availing legal aid.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदया, लोकतंत्र के प्रभावी प्रदर्शन एवं अच्छे परिणाम प्राप्त करने हेतु संविधान में व्यवस्थापिका, कार्य पालिका और न्यायपालिका को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सभी को समान, संपत्ति एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की समय-समय पर माननीय उच्च-न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाती है, परंतु जनसामान्य को माननीय उच्च- न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों से भाषा, ट्रांसलेशन, वकीलों की बहुत बड़ी फीस और अभियोजन के अप्रभावी प्रदर्शन के कारण न्याय प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है।

जन सामान्य को सरलता से न्याय प्राप्त हो सके, वह आर्थिक व अन्य कठिनाइयों से बच सके। मैं अपेक्षा करता हूं कि पक्षकारों को शपथ पत्र व बहस तथा रिट हिन्दी व क्षेत्रीय भाषाओं में दाखिल करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय में प्राप्त हो। न्यायालयों द्वारा जब अन्य भाषा से जब अंग्रेजी भाषा का ट्रांसलेशन मांगा जाता है तो उसमें बहुत बड़ा खर्च आता है। यह खर्च न्यायालय द्वारा उठाया जाए या सरकार द्वारा उठाया जाए। सीनियर अधिवक्ताओं की अधिकतम फीस की सीमा तय की जाए। जिनकी आय पांच लाख रुपये वार्षिक से कम है, ऐसे कम आमदनी वाले लोगों को माननीय उच्च-न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में वाद अपील दायर करने में जो खर्च आए, जो भी न्याय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी हाल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक योजना प्रारंभ की है, ऐसी ही नीतिगत निर्णय लेकर पांच लाख रुपये से कम आमदनी वाले लोगों को माननीय उच्च-न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में ऐसी सुविधा दी जाए कि उनका खर्च सरकार द्वारा उठाया जाए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री शरद त्रिपाठी,

श्री रवीन्द्र कुमार जेना और

श्री लखन लाल साहू को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।